19-3-97

नगर पालिका परिषद जौनपुर - बोर्ड की बैठक दिनांक 19-3-97 (दिन बुधवार) अपरान्ह 3.00 बजे, सभागार पर हुयी, में उपस्थित मान्य सदस्यों के नाम निम्नप्रकार है।

1.	श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव,	अध्यक्षा.
2	श्रीमती दलजीत	सदस्य
3	श्री सतीशकुमार सोनकर	"
4	श्री जगदीशकुमार सोनकर	"
5.	श्री संजयकुमार मौर्य	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
6	श्री श्याम बिहारी सेठ	कनिष्ठ उपाध्यक्ष.
7	श्रीमती राधा देवी चौरसिया	सदस्य
8	श्री राकेशकुमार यादव	"
9	श्री ज्यारत हुसैन	"
10	श्री [illegible] यादव	"
11	श्रीमती महरुन्निशा	"
12	श्री गुलाबचन्द्र	"
13	श्री अतुलकुमार सिंह "मुन्ना"	"
14	श्रीमती निर्मला देवी गुप्ता	"
15	श्री वकील अहमद मंसूरी	"
16	कु0 बुशरा खातून	"
17	श्री मो0 जावेद खाँ	"
18.	श्री प्रमोद कुमार गुप्त	"
19	श्री गुलाबचन्द्र साहू	"
20	श्री रमजानखाँ	"

(विजयकुमार)
अधिशासी - अधिकारी,
नगर - पालिका परिषद
जौनपुर
19.3.97

सन्ध्यारानी श्रीवास्तव
(संध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्षा,
नगर - पालिका परिषद
जौनपुर
19.3.97

आज दिनांक 19-3-97 को परिषद की बैठक दिन के 3.00 बजे नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में शुरू हुयी। मा० अध्यक्षा ने सदन में उपस्थित सभी माननीय सभासदों का स्वागत एवं अभिनंदन किया तथा इस बात की शुभ कामना व्यक्त किया कि आनेवाली होली का पर्व बोर्ड एवं नगर वासियों के लिये हितकारी हो, तथा सभी के बीच परस्पर सौहार्द एवं भाई-चारा की भावना का विकास हो, इसके उपरान्त आगे की कार्यवाही शुरू करने हेतु परिषद लिपिक को निर्देशित किया कि पिछली बैठक की पुष्टि सम्बन्धी प्रस्ताव के उपरान्त बजट सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव चर्चा हेतु प्रस्तुत हो। प्रस्ताव संख्या 1 से प्र० 10 तक चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव संख्या 2 पर चर्चा होगी और तदुपरान्त अंतिम प्रस्ताव संख्या 11 पर चर्चा होगी।

इसके पश्चात श्री वकील अहमद अंसारी, माननीय सभासद ने कहा कि सर्वप्रथम होली पर्व के पूर्व पर बैठक बुलायी गयी है, इसके लिये मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और सदन के माध्यम से नगर वासियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सभासद भाई बहनों को होली के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। इस पुनीत अवसर पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुयी है ऐसे त्योहार पर हम सभी अपनी अन्तरात्मा की आवाज पर सोच विचार कर कार्य करें, जिससे हमलोगों का महत्व बढ़ सकेगा जिस जिम्मेदारी से यहाँ बैठे हैं, उसे पूरा करें।

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
1. पिछली बैठक की कार्यवाही दिनांक 15-2-97 जारी पुष्टि।	पिछली कार्यवाही दिनांक 15-2-97 परिषद लिपिक द्वारा पढ़ा गया जिस पर श्री वकील अहमद अंसारी, माननीय सभासद ने कहा कि इसके बीच में जहाँ मेरे तथा अन्य सभासद के नाम से "हो हल्ला" शब्द लिखा गया है, वह गलत है, उसे इससे निकाला जाय, इस पर मा० अध्यक्षा ने परिषद लिपिक को निर्देश दिया कि "हो हल्ला" शब्द को निकाल दें और भविष्य में ऐसी किसी प्रकार की बातों को कार्यवाही में न लिखा जाय। तदोपरान्त पिछली कार्यवाही की पुष्टि सर्वसम्मति से की गयी।

*. पृष्ठ संख्या … पर 'हो हल्ला' शब्द निकाले जाने की सहमति अंकित की गयी।

सभासद

EO

विशेष प्रस्ताव	निर्णय	19-3-97
1. नगर पालिका परिषद, औरैया के प्रस्ताव पढ़ा गया। वर्ष 1997-98 के वर्ष 1997-98 के आय-व्ययक की आय व्ययक के आँकड़े एवं निर्धारित स्वीकृति हेतु विशेष प्रस्ताव पर विस्तृत प्रस्तुत किये गये जिस पर लिया।	चर्चा हुई और सम्यक विचारोपरान्त निम्न आय व्ययक स्वीकार किया गया।

कुल प्रस्तावित आय रु. 7,35,67,010.00

कुल प्रस्तावित व्यय रु. 7,29,67,350.00

कुल अंतिम अवशेष - 5,99,660.00

श्री वकील अहमद मीरी ने सभासदों से जाँच कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर सर्वसम्मति से 5 सदस्यों की एक कमेटी बनायी गयी जिसमें सर्वश्री जगदीशकुमार सोनकर, मान्य सभासद / वित्त समिति के सभापति, श्री वकील अहमद मीरी, श्री गुलाबचन्द साहू, श्री प्रमोदकुमार गुप्त, श्री सतीशकुमार सोनकर को जाँच समिति हेतु मा० अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया और वर्ष 1997-98 का पालिका बजट हर्ष ध्वनि से पारित किया गया, जिस पर अध्यक्ष द्वारा सहर्ष धन्यवाद दिया गया।

आगे श्री वकील अहमद मीरी, मान्य सभासद ने एक पत्रक मा० अध्यक्ष को दिया गया, जिसे मा० अध्यक्ष ने पढ़कर सदन में सुनाया, जिसमें अंकित था कि श्री वकील अहमद मीरी को नेता विरोधी दल एवं कु० कुशरा खातून को उपनेता विरोधी दल चुने जाने पर हर्ष ध्वनि से स्वागत किया गया।

	सामान्य प्रस्ताव	निर्णय
3	आख्या अधिशासी अधिकारी दिनांक 27.2.97 कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ की बैठक दिनांक 25.1.97 में यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू पेयजल संयोजनों पर 40/- प्रतिमाह शुल्क निर्धारित किया जाय, प्रेषित अनुमोदनार्थ इस आशय से दिनांक 24-10-96 को प्रस्ताव सं0-3 में पारित घरेलू पेयजल संयोजनों पर 30/- प्रतिमाह निर्धारित शुल्क के स्थान पर निदेशालय के उक्त निर्णयानुसार 40/- प्रतिमाह शुल्क निर्धारित किया जाय।	प्रस्ताव पढ़ा गया। जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
4	जलकल निरीक्षक आख्या बावत लालपुर नलकूप की मरम्मत के लिये जलनिगम के व्यय अनुमान के अनुसार 70,000/- व्यय होगा, जनहित में पेयजलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवा को चालू रखने के लिये अन्तरिम भुगतान के रूप में 50,000/- जलनिगम को बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दिया गया है, प्रेषित अनुमोदनार्थ, साथ ही 20,000/- का भुगतान कार्य प्रारंभ होने के पश्चात किया जायेगा, प्रेषित स्वीकृति हेतु।	प्रस्ताव पढ़ा गया। जलकल अभियन्ता ने बताया कि लालपुर नलकूप अधिक रेता देने लगा है, इसलिये इसे जलनिगम के अधिकारियों को दिखलाया गया है, जिन्होंने 70,000/- का व्यय अनुमान बताया, जिसमें 50,000/- स्वीकृति की प्रत्याशा में भुगतान कर दिया गया है और मौके पर मशीन आदि आ गयी है, अब इन्हें 20,000/- और भुगतान करना है। विचारोपरान्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
5	जलकल निरीक्षक आख्या बावत 10 मीट्रिक टन ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था हेतु 1,51,995=20 पैसे जनहित में जलापूर्ति जैसी आवश्यक सेवा के अन्तर्गत बोर्ड की स्वीकृति की प्रत्याशा में एम० एल० कनोडिया, केमिकल्स लिमिटेड, रेनूकोट से क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, प्रेषित अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव पढ़ा गया, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

	प्रस्ताव	निर्णय
6	पालिका हित एवं प्रशासनिक के अनुशासन में भी दुकानों का आवंटित/का किराया को बढ़ाने एवं संशोधन पुनः करने की स्वीकृति से पालिका की दुकानों के किराये एक्ट के नियम के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर किराये में 25% की वृद्धि करने विषयक प्रस्ताव बोर्ड अनुमोदन हेतु, इस प्रावधान के तहत वर्ष 1992 में दुकानों का किराया 25% बढ़ाया गया था, जिसकी अवधि 5 वर्ष पूर्ण हो गयी है, अब 5 वर्ष उपरान्त दुकानों का किराया 25% बढ़ाये जाने से बोर्ड की [illegible] आय में वृद्धि होगी जो अप्रैल 1997 से लागू समझी जायेगी, बोर्ड अनुमोदनार्थ।	प्रस्ताव पढ़ा गया, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
7	राजस्व विभागीय आख्या बावत तहबाजारी बस स्टैण्ड पड़ाव ठेके की वसूली, जो वर्तमान समय में प्रचलित है, वह बहुत कम है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में पड़ाव का ठेका बढ़ाकर किया जाता है, लेकिन वसूली की दर पुरानी चली आ रही है, इसलिये निम्न प्रस्तावित संशोधित दर बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पढ़ा गया, इस पर श्री [illegible] कुमार सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि पूर्व की बैठक में टैक्सी स्टैण्ड पड़ाव पर रेट बोर्ड लगाने के लिये निर्णय लिया गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी है, बताया जाय, पालिका अध्यक्ष की अनुमति से राजस्व अधीक्षक ने बताया कि, आजमगढ़ रोड, कचहरी, मछलीशहर, मिर्जापुर रोड पर पड़ाव पर रेट बोर्ड लगवा दिये गये हैं, जो जी० जी० चौराहे पर लगा था, उसको किसी ने तोड़ दिया है, उसे ठीक किया जायेगा, ठेकेदारों से वसूली कर्मचारियों के फोटो मांगे गये हैं, जो प्राप्त होते ही पहचान पत्र तैयार करके जारी कर

(क) मोटर, लारी, बस, स्टेशन वैगन, टाटा 407 शक्ति चालित वाहन	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर पूरे दिन के लिये
एक घन्टा से कम अवधि के लिए	4.00	10.00
एक घन्टा से 3 घन्टे के लिये	6.00	
तीन घन्टा से अधिक समय के लिये	8.00	

19-3-97

074

प्रस्ताव		निर्णय :-
7. (ख) जीप टैक्सी, टैम्पो एवं अन्य मोटर चालित वाहन	वर्तमान दर	दिया जायेगा, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। प्रस्तावित दर
एक घन्टा से कम अवधि के लिए	2-00	पूरे दिन के लिये
एक घन्टा से 3 घन्टे के लिए	3-00	6-00
तीन घन्टे से अधिक समय के लिये	5-00	
8. राजस्व निर्धारण आख्या बावत टैक्सी स्टैन्ड, तहबाजारी एवं पार्किंग वर्ष 1996-97 के लिए नीचे लिखे स्थानों को गतवर्ष की अपेक्षा बढ़ोत्तरी पर उनके सम्मुख अंकित रकम पर पुराने ठेकेदारों को ही बोर्ड प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 24-10-96 के अनुसार पूरी रकम एक मुश्त जमा करने पर आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिये बढ़ोत्तरी पर दिया गया, चूँकि पहले के ठेकेदारों द्वारा बोली बोलकर ठेका तो ले लिया जाता था, पर नीलामी की पूरी रकम नहीं जमा की जाती थी जिससे बोर्ड को आर्थिक क्षति होती थी, आर्थिक क्षति से बचने के लिये एक मुश्त रकम 10% बढ़ाकर ठेका दिया गया आख्या परिषद समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृतार्थ।		प्रस्ताव पढ़ा गया। राजस्व अधीक्षक ने स्थिति से अवगत कराते हुये कहा कि इस बार इस आय में काफी वृद्धि हुयी है और अधिकांशतः एक मुश्त पैसा जमा हुआ है। विचारोपरान्त बोर्ड आय हित को देखते हुए प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

	टैक्सी स्टैन्ड का नाम	पूर्व की बोली	ठेके की रकम	अपेक्षाकृत बढ़ोत्तरी
1.	बनारस रोड	1,44,000-00	1,58,400-00	14,400-00
2	आजमगढ़ रोड	2,42,000-00	2,66,200-00	24,200-00
3.	बदलापुर रोड	1,66,224-00	1,82,846-00	16,622-00
4.	इलाहाबाद रोड	1,40,020-00	1,96,028-00	56,008-00

19-3-9

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
9. राजस्व विभागीय आख्या बाबत डा० अम्बेडकर चौराहे पर 14 अदद दुकानों का निर्माण कराने से बोर्ड की आय में वृद्धि होगी, जिसे नीलामी पद्धति से आवंटित किया जायेगा, परिषद अनुमोदन हेतु	प्रस्ताव पढ़ा गया, बोर्ड हित को देखते हुए इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।
10 पालिका स्वास्थ्य विभागीय आख्या दिनांक 14-3-97 बाबत नगर-पालिका परिषद औरैया में जीप संख्या यू०जी०टी० 9620 जो काफी पुरानी है और वर्ष 1996-97 में इसकी आवश्यक मरम्मत पर रु 45,849/- व्यय हुआ है और अगले वित्तीय वर्ष 1997-98 में रु 45,000/- मरम्मत (जैसे बाडी बदलना, डेन्टिंग पेन्टिंग, इंजन, बैक कम्प्रेशर आदि) पर व्यय का अनुमान है, इन सब खर्चों को दृष्टिगत करते हुये एक अदद नयी "महेन्द्रा कमाण्डर" से जीप क्रय करने हेतु प्रस्ताव परिषद के स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव पढ़ा गया, सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अधिशासी-अधिकारी ने राजाज्ञा की ओर ध्यान दिलाया, किन्तु जनहित एवं बोर्ड हित में आवश्यकता को देखते हुए मान्य सभासदों ने कहा कि एक अदद नयी जीप, बोर्ड फण्ड से तत्काल क्रय कर ली जाय. उसके बाद वर्तमान जीप को, जो काफी पुरानी है, नीलाम ~~किया~~ किया जाय तथा इस सम्बन्ध में शासन को स्थिति से अवगत कराते हुए अनुरोध पत्र भेज दिया जाय, इस पर मा० अध्यक्ष ने सदन को अवगत कराया कि जीप क्रय करने के सम्बन्ध में तीन पत्र शासन को भेजे जा चुके हैं। इस पर मान्य सभासदों ने कहा कि पुनः शासन को अंतिम अनुरोध पत्र लिखा जाय, फिलहाल आवश्यकता को देखते हुए एक अदद नयी जीप तत्काल क्रय करने के लिए सदन निर्णय लेता है।

प्रस्ताव सं० 2 से स्वीकृत की गयी।

नगर पालिका परिषद जौनपुर में नये लाइसेन्स शुल्क की संशोधित दरें लागू करने हेतु अनुसूची

क्र०सं०	विवरण	निर्धारित शुल्क	
1	2	3	
	होटल रेस्टोरेन्ट		
1-	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया तक	1,000=00	वार्षिक
2-	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैया से 20 शैया तक	2,500=00	,,
3-	एक सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से ऊपर तथा 30 शैया तक	4,000=00	,,
4-	31 शैया से 40 शैया तक	5,000=00	,,
5-	41 शैया से 50 शैया तक	6,000=00	,,
6-	50 शैया से ऊपर	10,000=00	,,
7-	तीन सितारा होटल	7,500=00	,,
8-	पाँच सितारा होटल	8,000=00	,,
9-	रेस्टोरेन्ट/भोजनालय	1,000=00से 2,000=00	,,
	नर्सिंग होम		
1-	नर्सिंग होम (10 बेड तक)	1,000=00	,,
2-	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	2,000=00	,,
3-	नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	3,000=00	,,
4-	प्रसूति गृह (10 बेड तक)	1,000=00	,,
5-	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2,000=00	,,
6-	प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	3,000=00	,,
7-	प्राइवेट अस्पताल	3,500=00	,,
8-	पैथालाजी सेन्टर	1,000=00	,,
9-	एक्सरे क्लिनिक	2,000=00	,,
10-	डेन्टल क्लिनिंग	3,000=00	,,
11-	प्राइवेट क्लिनिक	1,500=00	,,
	परिवहन		
1-	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	3,000=00	,,
2-	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	5,000=00	,,
3-	आटो रिक्शा (3सीटर)	500=00	,,
4-	आटो रिक्शा (7सीटर)/टैम्पो	1,000=00	,,
5-	आटो रिक्शा (5सीटर)	600=00	,,
6-	मिनी बसें एवं सभी प्रकार की छोटी बसें जो मिनी बसों की श्रेणी में आती हों।	1,000=00	,,

(----2)

1	2	3		
7-	कार/ट्रक	2,000=00	वार्षिक प्रतिष्ठान	
8-	ताँगा/इक्का	50=00	,,	,,
9-	रिक्शा किराये पर	100=00	,,	,,
10-	रिक्शा (निजी या किसी/ठेला मजदूरी)	50=00	,,	,,
11-	रिक्शा चालक	10=00	रु. प्रतिवर्ष	
12-	ठेला भैंसा	50=00	वार्षिक प्रतिष्ठान	
13-	हाथ ठेला	50=00	,,	,,
14-	बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी	50=00	,,	,,
15-	ट्रेक्टर ट्राली	500=00	,,	,,
16-	अन्य चार पहिये के वाहन जैसे जीप, कार	500=00	,,	,,
17-	मोटर गैरेज	1,000=00	वार्षिक	
18-	स्कूटर, मोटर साइकिल मैके./रिपेयरिंग शाप	500=00	,,	
19-	मोटरवाहन, ट्रैक्टर वाहन एजेन्सी (सेल्स/सर्विस)	6,000=00	,,	
20-	स्कूटर एजेन्सी (प्र विक्रय/उप विक्रय)	4,000=00	,,	
21-	भारी वाहन और कार सर्विसिंग स्टेशन	5,000=00	,,	
22-	स्कूटर/मोटर साइकिल की सर्विसिंग स्टेशन	2,000=00	,,	
23-	साइकिल की दुकान थोक	3,000=00	,,	
24-	साइकिल की दुकान फुटकर	500=00	,,	

पेट्रोलियम

1-	मिट्टी के तेल की दुकान 100 गैलन तक	100=00	वार्षिक
2-	मिट्टी के तेल की दुकान 300 गैलन तक	200=00	,,
3-	मिट्टी के तेल की दुकान 500 गैलन तक	300=00	,,
4-	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक (आयल कं०)	5,000=00	,,
5-	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	2,500=00	,,
6-	जनरेटर डीजल	1,000=00	,,
7-	दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	1,000=00	,,

अन्य व्यवसाय

1-	आटा चक्की/स्पेलर/हालर/मसाला पीसने	1,000=00	वार्षिक प्रतिष्ठान	
2-	धुलाई गृह/लान्ड्री	500=00	,,	,,
3-	ड्राई क्लीनर	1,000=00	,,	,,
4-	साबुन फैक्ट्री	800=00	,,	,,

(—3/)

प्रस्ताव संख्या 2 से [illegible]

1	2	3
5-	आइसक्रीम फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक सोडा एरेटेड वाटर फैक्ट्री	800=00 वार्षिक प्रति [illegible]
6-	गुड़ गोदाम	600=00 ,, ,,
7-	कंकड़ तथा सुर्खी का भट्ठा	3,000=00 ,, ,,
8-	चूना भट्ठा	1,000=00 ,, ,,
9-	ईंट का भट्ठा	5,000=00 ,, ,,
10-	पेठा बनाने का कारखाना	500=00 ,, ,,
11-	जूता बनाने का कारखाना	2,500=00 ,, ,,
12-	जूते की दुकान	1,000=00 ,, ,,
13-	रुई धुनने की मशीन	1,000=00 ,, ,,
14-	लेथिंग, वेल्डिंग, ड्रीलिंग मशीन	1,000=00 ,, ,,
15-	आरा मशीन	1,000=00 ,, ,,
16-	लोहा व्यापारी	4,000=00 ,, ,,
17-	सीमेन्ट, बालू, मोरंग की दुकान	1,000=00 ,,
18-	टाइल्स, सेनेटरी वेयर्स, पेन्ट एवं हार्डवेयर की दुकान	1,000=00 ,,
19-	बर्तन की दुकान (1.50 लाख से कम टर्न ओवर करने वालों पर)	1,500=00 ,,
20-	बर्तन की दुकान (1.50 लाख रुपये से अधिक के टर्न ओवर करने वालों पर)	4,000=00 ,,
21-	बिजली के सामानों के विक्रेता	3,000=00 ,,
22-	कपड़ा व्यापारी (1.50 लाख से कम टर्न ओवर करने वाले)	3,000=00 ,,
23-	कपड़ा व्यापारी (1.50 लाख से अधिक टर्न ओवर करने वाले)	5,000=00 ,,
24-	चाय के थोक विक्रेता	1,000=00 ,,
25-	गट फैक्टरी	150=00 ,,
26-	खाल एवं बाल उतारने वालों पर	500=00 ,,
27-	कैटरिंग	1,500=00 ,,
28-	बेकरी (भट्ठी)	1,000=00 ,,
29-	बेकरी (पावर)	2,000=00 ,,
30-	हेयर कटिंग सैलून (एक कर्मचारी तक)	100=00 ,,
	(तीन कर्मचारी तक)	500=00 ,,
	(तीन कर्मचारी से ऊपर)	1,000=00 ,,
31-	ब्यूटी पार्लर	1,000=00 ,,
32-	कुकिंग गैस एजेन्सी	2,000=00 ,,

(---4)

प्रस्ताव सर्वसम्मति से
स्वीकृत हुआ।

33-	जनरल मर्चेन्ट् (1.50 लाख से उपर टर्न ओवर करने वाले)	2,000=00 वार्षिक
34-	जनरल मर्चेन्ट् (1.50 लाख वार्षिक से कम टर्न ओवर करने वाले)	1,000=00
35-	टेलरिंग हाउस (5 कारीगरों से अधिक)	2,000=00
36-	टेलरिंग हाउस (5 कारीगरों से कम)	1,000=00
37-	कोयला थोक विक्रेता	2,000=00
38-	कोयला फुटकर विक्रेता	500=00
39-	पान मसाला कारखाना	3,000=00
40-	दोहरा बनाने का कारखाना	2,000=00
41-	पेन्ट की दुकान	1,000=00
42-	ज्वेलर्स (3 लाख से उपर की टर्नओवर)	15,000=00
43-	ज्वेलर्स (छोटे तीन लाख तक टर्न ओवर करने वाले)	5,000=00
44-	विज्ञापन एजेन्सी	3,000=00
45-	डेयरी फार्म	1,000=00
46-	भूसा (थोक विक्रेता)	1,000=00
47-	भूसा (फुटकर विक्रेता)	300=00
48-	आर्किटेक्स, कन्सलटेन्ट लि० 5 एकाउन्टेन्ट, कास्ट एकाउन्टेन्ट	2,000=00
49-	ड्राफ्ट मैन	1,000=00
50-	फाइनेन्स कम्पनी, चिट फण्ड	2,000=00
51-	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	4,000=00
52-	फाउडिंग इन्जिनियरिंग इन्ड स्ट्रियल	1,000=00
53-	पशुवध (सलाटर हाउस)	10=00
54-	सींग गोदाम	400=00
55-	हड्डी, खाल गोदाम	1,000=00
56-	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खाड़सारी (थोक विक्रेता/आढ़तिया)	3,000=00
57-	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खाड़सारी फुटकर विक्रेता)	1,500=00
58-	बार/बियर	4,000=00
59-	आइस फैक्ट्री	500=00
60-	टेन्ट हाउस	3,000=00
61-	लाटरी के थोक विक्रेता	3,000=00
62-	लाटरी के फुटकर विक्रेता	800=00

(----5/)

आपत्ति संख्या 2 से सम्बन्धित [illegible]

दुकान

1- पान की दुकान (कोई)
2- पान की दुकान (गुमटी में) 1,000=00 प्रति
3- किताबों के थोक दुकान/स्टेशनरी 250=00 ,,
के थोक दुकान 1,000=00 ,,
4- न्यूज पेपर एजेन्सी/बुक स्टाल
5- टिम्बर मर्चेन्ट, इमारती लकड़ी की दुकान 500=00 ,,
6- रेडियो मैकेनिक, टी.वी. मरम्मत 5,000=00 ,,
7- टी.वी. शाप/इलेक्ट्रानिक्स वस्तुयें 500=00 ,,
8- फर्टिलाइजर शाप 2,500-00 ,,
9- प्लास्टिक फैक्ट्री 2,000=00 ,,
4,000=00 ,,
10- प्लास्टिक ट्रेडर्स
11- मिठाई की दुकान (देशी घी) 1,000=00 ,,
12- (डालडा या रिफाइण्ड) 2,000=00 ,,
13- ड्राई फ्रूट विक्रेता (थोक विक्रेता) 1,500=00 ,,
14- गैस एजेन्सी 1,000=00 ,,
15- सब्जी की दुकान और फल की 5,000=00 ,,
दुकान अढ़तिया 2,000=00 ,,
16- बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)
4,000=00 ,,
17- मसाले के थोक विक्रेता
2,000=00 ,,
18- मसाले के फुटकर विक्रेता
1,000=00 ,,
19- देशी शराब (प्रति दुकान) 5,000=00 ,,
20- विदेशी शराब (प्रति दुकान) 5,000=00 ,,
21- भैंसा मांस की दुकान
1,000=00 ,,
22- बकरा मांस की दुकान 1,000=00 ,,
23- सुअर तथा अन्य मांस की दुकान 1,000=00 ,,
24- फर्नीचर की दुकान (शो रूम) 3,000=00 ,,
25- किराना/परचून की दुकान थोक 2,000=00 ,,
26- रेडीमेड, होजरी, सिले सिलाये कपड़ों की 3,000=00 ,,
दुकान (1.50 लाख वार्षिक से ऊपर टर्नओवर)
27- रेडीमेड, होजरी, सिले सिलाये कपड़ों की 1,000=00 ,,
दुकान (1.50 लाख वार्षिक से कम टर्नओवर)

[illegible]

(विजय कुमार) (संध्यारानी श्रीवास्तव)
अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, जौनपुर

19.3.97

प्रस्ताव :-	निर्णय :
2. आज्ञा अधिशासी-अधिकारी दिनांक 27-2-97 के निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ने पत्र दिनांक 28.1.97 में यह निर्देश दिये थे, कि नगर-निकाय अनुभाग-9-शासनादेश संख्या 2333/नौ-9-94-20 (जनरल)/80 दिनांक 27-10-94 के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न व्यवसायों पर लगाया गया लाइसेंस शुल्क लागू कर दिया जाय अन्यथा शासन से मिलने वाले अंशदान पर दिनांक 1-4-97 से रोक लगा दिया जायेगा, जिससे पालिका की आय प्रभावित होगी, को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लागू किया जाय, परिषद अनुमोदनार्थ। शुल्क दर की सूची संलग्न है।	लाइसेंस शुल्क लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पढ़ा गया, जिस पर उपस्थित माननीय सभासदों द्वारा विरोध प्रकट करते हुए कहा गया कि चूँकि यह नगर काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ के लोग गरीबी रेखा की परिधि में हैं, ऐसी दशा में सुझाव दिया कि राजाज्ञा में दिये गये लाइसेंस दर को तीन श्रेणी ए.बी.सी. में किया जाय जिसमें होटल रेस्टोरेन्ट, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक, पैट्रोलियम, ज्वैलर्स व सभी ट्रेड के थोक व बड़े व्यवसायी पर सर्वप्रथम उक्त लाइसेंस दर लागू किया जाय। नगर में कितने होटल, रेस्टोरेन्ट, नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक व अन्य दुकाने ऐसी हैं जिनकी आय बहुत कम होती है ऐसी दशा में इन पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हेतु शासन को फैक्स कर दिया जाय। राजाज्ञा व निदेशक द्वारा मीटिंग के दौरान दिये गये निर्देश से माननीया अध्यक्ष ने समासदों को अवगत कराया। यद्यपि इसे अप्रैल 97 से लागू किया जाना आवश्यक है, ऐसी दशा में शासन को उक्त स्थिति से अवगत कराते हुये फैक्स करने के उपरान्त शासनादेश को ध्यान में रखते हुये इस प्रस्ताव को पारित माना जाय।

19-3-17

चर्चा :-

बैठक में चर्चा के दौरान कलक्ट्रीपुल पर स्थित पुस्तकालय गेट पर अतिक्रमण होने, पुस्तकालय में साफ सफाई रखने व खिड़कियों की मरम्मत कराने हेतु प्रस्ताव मान्य सभासद द्वारा रखा गया, जिस पर विचार करके समस्त कार्यवाही की करने के निर्देश निर्गत कर दिये जाय।

चर्चा के दौरान नगर पालिका कार्यालय के उत्तरी गेट के बगल में स्थित कोठरी में प्याऊ की व्यवस्था हेतु सदन में प्रश्न उठाया गया, जिस पर अवर अभियन्ता को व्यवस्था हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये, तथा हिन्दी भवन के सामने पटरी की रेलिंग की आवश्यक मरम्मत हेतु उठाये गये प्रश्न पर अवर अभियन्ता (निर्माण) को एस्टीमेट तत्काल प्रस्तुत करने एवं कार्य कराने हेतु अलग से निर्देश दे दिये गये हैं।

जगदीशपुर-समोधपुर में पेयजल संकट के सम्बन्ध में श्री सतीशकुमार सोनकर, मान्य सभासद द्वारा प्रश्न उठाया गया तथा गरुड़ शाह अहाता में स्थित हैण्डपम्प जो खराब है, उसके सम्बन्ध में कु0 कुशरा खातून मान्य सभासद द्वारा प्रश्न उठाया गया, इस हेतु जलकल-अभियन्ता को तत्काल मौका निरीक्षण कर समुचित पेयजलापूर्ति कराये जाने एवं हैण्डपम्प की मरम्मत कराये जाने की व्यवस्था करने हेतु अलग से निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं, साथ ही मुफ्ती मुहल्ला व मुल्लाटोला में जहाँ पाइप लाइन बिछाई नहीं है, वहाँ विस्तार किये जाने हेतु सर्वे कराने व आंकलन तैयार कराने हेतु जलकल अभियन्ता को अलग से लिखा गया है।

अन्ततोगत्वा बैठक समाप्त करने से पूर्व माननीया अध्यक्ष ने सदन में उपस्थित मान्य सभासदों, अधिकारियों, कर्मचारियों को बैठक शान्ति एवं सौहार्द वातावरण में सम्पन्न होने पर हार्दिक बधाई दी और बैठक को विराम किया।

(विजयकुमार)
अधिशासी-अधिकारी
नगर-पालिका परिषद
जौनपुर
19.3.17

(सिद्धारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष,
नगर-पालिका परिषद जौनपुर
19-3-17